
Govt. Madan lal Shukla College Seepat, Dist-Bilaspur

List of Placement Students(Recruitment drives) year 2016-17





कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय जेल बिलासपुर, छत्तीसगढ़

राजेन्द्र नगर, धाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ, पिन 495001 **४** 07752–224090, 🖶 224090 °O centraljailbilaspur.cg@gov.in

ÞÞ आदेश ४४

क्रमांक 181/स्थापना/2016

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2016

छत्तीसगढ़ अराजपत्रित (तृतीय श्रेणी—अलिपिकीय वर्गीय तथा लिपिक वर्गीय) जेल सेवा भर्ती नियम, 2009 में निहित प्रावधानों एवं उक्त भर्ती नियम में छत्तीसगढ़ शासन गृह (जेल) विभाग, मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ—3—4/तीन—जेल/2011 रायपुर दिनांक 20.04. 2012 द्वारा किये गये संशोधन तथा शासन के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.05.2012, दिनांक 01.06. 2012 एवं पत्र दिनांक 19.06.2013 द्वारा जारी स्वीकृति के अंतर्गत प्रहरी भर्ती परीक्षा—2013 एवं माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के द्वारा पारित याचिक (S) No. 3334/2015 "Akhilesh Kumar Vs. State of Cihattisgarh & 03 others" एवं (S) No. 3336/2015 "Sudhir Kumar Vs. State of Chhattisgarh & 03 others" के परिपालन में बिलासपुर सर्किल के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रहरी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रूपये 5200—20200+ग्रेड वेतन रूपये 1900 में निश्चित वेतन रूपये 5680+1900=7580/— प्रतिमाह तथा अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय—समय पर देय है, उनके उपस्थिति दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा में निम्नांकित शर्तो पर अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :—

豖.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति का प्रवर्ग
1.	श्री अखिलेश कुमार	श्री वेदराम	अ.जा.
2.	श्री सुधीर कुमार	श्री सहस राम	अ.जा.

शर्ते :-

1. अस्थाई नियुक्ति के दौरान अभ्यर्थी की अस्थाई सेवाएं किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकती हैं। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कर्तव्य से बिना पूर्व अनुमित के अनुपस्थित रहते हैं तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित दिनांक से ही बिना नोटिस दिए सेवा छोड़ दी है तथा उन्हें एक माह की नोटिस अविध में से जित्तनी अविध कम हो उतनी अविध का वेतन भत्तों का भुगतान करना होगा। उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिए बिना या एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त के अन्तर्गत देय रकम उनसे भू—राजस्व की बकाया की भांति वस्तुली योग्य होगी।

2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसा भी मामला हो के वर्ग का होने संबंधी उनका दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताये संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के

अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

3. यह नियुक्ति उचित माध्यमों से अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि संबंधित प्रमाण पत्र झूठा है तो बिना कोई कारण बताये तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है, संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।

4. उपर्युक्त नियुक्ति अन्य आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा में की जाती है। यदि अभ्यर्थी ने अभी तक जो जानकारी दी है, वह असत्य पायी जाती है तो भी उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से

समाप्त कर दी जायेगी।